न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 22/2025
दायर दिनांक : 13/06/2025
निर्णय दिनांक : 03/12/2025

उनवान

1. प्रहलाद पिता शंकरलाल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पिता मांगीलाल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. गोपीबाई पत्नी मांगीलाल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. उपपंजीयक, भूपालसागर
4. पटवारी, पटवार हल्का, निलोद तहसील भूपालसागर
5. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर
6. शांताबाई पत्नी शंकरलाल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
7. प्रिन्सी जाट पुत्री शंकरलाल जाट नाबालिक संरक्षक माता शान्ताबाई पत्नी शंकरलाल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
8. प्रकाशचन्द्र पिता मांगीलाल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री आसिफ ईकबाल व अन्य, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने वादपत्र न्यायालय आप में पेश किया है जो अवश्य ही डिकी होगा लेकिन मूल वाद के निस्तारण में समय लगेगा इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। यह कि प्रार्थी के अधिकार एवं आधिपत्य की मौरूसी मिल्कीयत की जायदाद मौजा ग्राम निलोद प.ह. निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल खाता सं. 397 के हाल आ.सं. 1443 रकबा 0.85 है., आ.सं. 1444 रकबा 0.88 है. कुल किता 2 रकबा 1.73 है. स्थित है, वजह सबूत हाल जमाबंदी, रोटेशन जमाबंदी वाद पत्र के संलग्न है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के आ.सं. 1443, 1444 किता 2 रकबा 1.73 है. आराजियात जो प्रार्थी के दादा मांगीलाल पिता देवा जाट निवासी निलोद के बाद विवादित आराजियात विरासत से प्रार्थी के पिता शंकरलाल पिता मांगीलाल के खातेदारी में दर्ज हुई जिसका अप्रार्थी सं. 1 वर्तमान में खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का पारिवारिक सजरा प्रार्थना पत्र में अंकित है। विवादित आराजियात का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जबकि मौके पर आराजियात का अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज हो काश्त कर रहे हैं। लेकिन विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं. 1 है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुऐ अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की पैतृक जायदाद को विक्रय करने पर आमादा है अगर प्रार्थी की पैतृक जायदाद को विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थी को अपनी सम्पूर्ण जायदाद से वंचित होना पडेगा इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण दौराने वाद विचारण वाद वर्णित आराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन वह वक्षीस वसीयत आदि नहीं करें। अप्रार्थी सं. 3 वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात के किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 प्रार्थना पत्र की चरण संत्रया 2 में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थीगण ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और न ही किसी [illegible], नौकर, एजेन्ट, परिवारजन तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारीगण से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन [illegible] जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनोज जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब दिनांक 03.12.[illegible] को प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:03:56 IST
Reason: SelfAttested

किया जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 1 वाद मनगढंत व झूठा होने से खारिज होगा, चरण सं. 2 स्वीकार, चरण सं. 3 प्रा. पत्र मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार, चरण सं. 4, 5, 6 अस्वीकार होना अंकित कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील श्री आसिफ ईकबाल ने अधिकार पत्र व जवाब दिनांक 03.11.2025 को प्रस्तुत किया। जवाब में अंकित किया कि प्रार्थनापत्र आराजियात अप्रार्थी सं. 1, 2 व 8 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसमें अप्रार्थी सं. 2 का 1/2 हक हिस्सा निहित होना प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात नहीं होना अंकित कर विस्तृत तथ्य अंकित किये हैं। अप्रार्थी सं. 6 व 7 की ओर से वकील श्री विनय खटीक ने अधिकार पत्र एवं जवाब दिनांक 7.11.25 को पेश किया। अप्रार्थी सं. 8 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया, जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बंद किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान कर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया वकील अप्रार्थीगण ने उक्त प्रस्तुत जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

अतः पत्रावली व दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित पाया जाता है। अतः उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र मूल वाद के संलग्न रहे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:03:56 IST
Reason: SelfAttested